

## REVISED

कार्यक्रम का नाम: रेफरल ट्रॉन्सपोर्ट इन डिस्ट्रीक्ट

बजट/एफ०एम०आर शीर्ष (अनुलग्नक 1 के आधार पर): रेफरल ट्रॉन्सपोर्ट इन डिस्ट्रीक्ट

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर कोड संख्या (अनुलग्नक 1 के आधार पर): B12.2.d

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण:

इस सेवा के अन्तर्गत राज्य के सभी 533 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 76 FRUs में सितम्बर 2011 तक 108 एम्बुलेन्स सेवा को विस्तारित करने की योजना है। अतः वर्तमान में कार्यरत सरकारी एवं निजी एम्बुलेन्स के लिए गत वित्तीय वर्ष की भाँति 13,000/- रु० प्रति एम्बुलेन्स प्रति माह की दर से जिले में कार्यरत वास्तविक संख्या के विरुद्ध राशि आवंटित की जा रही है।

ईकाई राशि (रु० हजार में) :

मूल खर्च - रु० 13,000/- प्रति माह प्रति एम्बुलेन्स का किराया दिया जाना है।

वित्तीय दिशा-निर्देश:-

आवंटन माह अप्रैल 2011 से माह सितम्बर 2011 तक के लिए स्वीकृत किया गया है। किन्हीं कारणवश यदि 108 सेवा का विस्तारीकरण का कार्य माह सितम्बर 2011 तक पूर्ण नहीं हो सका तो अवधि विस्तार एवं अतिरिक्त आवंटन पर निर्णय लिया जायेगा।

अतः स्मरण रहे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में एम्बुलेन्स का अनुबंध/नवीनीकरण माह सितम्बर 2011 तक के लिए ही किया जाना है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करे।


(क)

(ख)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम : डॉ० मदन प्रसाद शर्मा

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर : 9470003023



  
29.06.2011  
(डॉ० मदन प्रसाद शर्मा)  
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी  
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार